रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2011/फाल्गुन 24, 1932

No. 134] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2011/PHALGUNA 24, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2011

सा.का.नि. 213(अ).— केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर परिचर नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं,-**

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" इन नियमों के अधीन गठित परीक्षक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "बायलर परिचर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन वर्ग के किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है ;

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "मुख्य निरीक्षक" का वही अर्थ होगा जो बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन है ;

(च) "प्ररूप" से इन नियमों से उपबद्ध कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(छ) "सरकार" से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है ;

(ज) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;

(झ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(ञ) इन नियमों में किसी बायलर या बायलरों का कोई संदर्भ के अंतर्गत किसी इकानामाईजर या इकानामाईजरों के संदर्भ में भी लिया गया समझा जाएगा ।

अध्याय 2

साधारण

3. बायलर परिचर प्रमाणपत्र का धारक व्यक्ति बायलर का प्रभारी होगा,-

एकल बायलर या दो या अधिक बायलरों जो एक श्रृंखला में संबद्ध हैं या अनेक पृथक व्यष्टिक बायलरों का स्वामी नियम 23 में यथाउल्लिखित किसी बायलर परिचर के साथ-साथ ऐसी संख्या में बायलर परिचरों को रखेगा जो मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर इन नियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी बायलर परिचर को किसी बायलर के प्रभार तीन मास की अधिकतम अवधि के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि इन नियमों की कोई बात कोई व्यक्ति को जो इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र धारक किसी व्यक्ति को परिचर और किसी आकार के किसी बायलर या बायलरों के प्रभारी होने से विवर्जित नहीं करेगी और ऐसा प्रमाणपत्र इन नियमों के प्रयोजनों के लिए इन नियमों के अधीन दिया गया समझा जाएगा ।

4. सक्षम व्यक्ति का प्रमाणपत्र धारण करना और अर्हता का विस्तार,-

कोई व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र नहीं रखता है किसी बायलर का प्रभार धारण करने के लिए सक्षम और उपयुक्त नहीं समझा जाएगा ।

5. प्रमाणपत्र पेश करना,-

इन नियमों के अधीन सक्षमता का प्रमाणपत्र धारक बायलर परिचर अपने प्रभार या परिचर्या में किसी बायलर की अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त अवधि के ऐसे प्रमाणपत्र को पेश करने के लिए बाध्यकर होगा जब धारा 15 के अधीन किसी प्रमाणपत्र को पेश करने के लिए मांग करने के लिए ऐसा व्यक्ति सशक्त है, अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश मांग सकेगा ।

6. प्रमाणपत्र की विशिष्टियों को मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को स्वामी द्वारा पेश करना,-

(1) किसी बायलर का स्वामी जो किसी व्यक्ति को प्रभारी के रूप में नियुक्त करता है ऐसी नियुक्ति के सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को ऐसे व्यक्ति के पूर्ण विशिष्टियां जिसके अंतर्गत उसके प्रमाणपत्र का क्रम संख्यांक, तारीख और जारी करने का स्थान भी है, देगा ।

(2) किसी बायलर का स्वामी जो किसी व्यक्ति को ऐसे बायलर को प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त करता है ऐसे व्यक्ति के अपने नियोजन को छोड़ने की दशा में या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में इस तथ्य की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को सात दिनों के भीतर देगा ;

7. उपस्थिति, निर्मुक्ति और कार्यवाही की परिधि की दैनिक अवधि की सीमा,-

(1) किसी बायलर का प्रभारी व्यक्ति सीधे या तत्काल प्रभार में समझा जाएगा जब वह ऐसे बायलर से दस मीटर की दूरी पर है ।

(2) किसी बायलर या बायलरों का प्रभारी व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन किसी सक्षमता प्रमाणपत्र की अपेक्षा है किसी एक दिन में दो अवधियों से अधिक के लिए प्रभार से मुक्त नहीं होगा जिसे किसी परिचर के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र धारक किसी व्यक्ति द्वारा दो घंटे से अनधिक अवधि नहीं होगी ।

(3) किसी बायलर परिचर के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक मुख्य निरीक्षक या निदेशक, बायलर की लिखित सहमति से भी किसी बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में व्यवसायिकता का प्रमाणपत्र धारक कोई व्यक्ति किसी अवधि के लिए जो लगातार दस दिनों तक विस्तारित हो सकेगी जिसे विशेष परिस्थितियों में मुख्य निरीक्षक या निदेशक, बायलर किसी भी समय तीस दिनों की अनधिक समयावधि तक विस्तारित कर सकेगा ।

8. **जब बायलर उपयोग में समझा जाएगा,-**

(1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए बायलर उपयोग में समझा जाएगा जब बायलर में पानी को गर्म करने के प्रयोजन के लिए या बैंक फायर दशा के अधीन भट्टी आग बक्से में या फायर स्थान में आग है ।

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर को उपयोग में समझा जाएगा जब वहां चिमनी गैसों का प्रवाह हो रहा है या इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर में ऊष्मा माध्यम से भिन्न और पानी और उष्मित गैसें या माध्यम के मध्य ऊष्मा स्थानातंरण का स्थान लेता है ।

अध्याय 3

परीक्षकों का बोर्ड

9. **परीक्षकों के बोर्ड का गठन,-**

(1) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए परीक्षकों के बोर्ड का गठन होगा जिसमें मुख्य निरीक्षक या निदेशक, बायलर, उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर द्वारा नामनिर्दिष्ट निरीक्षक या उनसे समतुल्य से मिलकर बनेगा और तीन अन्य सदस्यों से अन्यून जो प्राइम मूवर और आधुनिक बायलर व्यवहार के शैक्षणिक और व्यवहारिक ज्ञान रखते हों को समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होंगे ।

(2) मुख्य निरीक्षक या निदेशक, बायलर पदेन अध्यक्ष होंगे और मुख्य निरीक्षक या बायलर निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक या उनके समतुल्य बोर्ड के पदेन सचिव होंगे ।

10. **सदस्यों की पदावधि,-**

बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक अन्य सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी यदि कोई सदस्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को स्थायी रूप से छोड़ देता है या बोर्ड की अनुज्ञा के बिना तीन लगातार बैठकों से अपने को अनुपस्थित रखता है तो ये समझा जाएगा कि उसने बोर्ड की अपने स्थान को रिक्त कर दिया है और अन्य व्यक्ति उसकी पदावधि की शेष भाग के लिए उसके स्थान पर नियुक्त होगा ।

11. **बोर्ड के कृत्य,-**

परीक्षकों का बोर्ड -

(i) किसी बायलर परिचर वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षण संचालित करेगा ;

(ii) किसी परीक्षा के लिए किसी व्यक्ति को पेपर सेटर या परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी ;

(iii) किसी बायलर परिचर को वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करना ; और

(iv) बायलर परिचर के भाग पर मद्यपता, कर्तव्य की उपेक्षा या उसके भाग पर अवचार के अभिकथन की जांच रिपोर्ट पर विचार करना ।

12. **बोर्ड की बैठक,-**

बोर्ड की बैठक जब अध्यक्ष की राय में इसके कारबार के संचालन के लिए आवश्यक हो, और ऐसे स्थान तथा ऐसे समय पर हो सकेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए ।

13. **बैठक की सूचना और कारबार की सूची,-**

(1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को दिए गए समय और नियत स्थान की सूचना डाक की तारीख से पंद्रह दिन से अन्यून देनी होगी और ऐसी सूचना के साथ बैठक में विचार के लिए उसके कारबार की सूची संलग्न होगी :

परंतु यदि अध्यक्ष किसी बैठक को जो उसकी राय में अत्यावश्यक है ऐसे युक्तियुक्त समय में सूचना देगा जिसे वह आवश्यक विचार करता है, किसी विषय पर विचार करने के लिए कोई बैठक बुला सकेगा ।

(2) कोई कारबार जो सूची में नहीं है अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय उस पर बैठक में विचार नहीं होगा ।

14. **गणपूर्ति**,-

अध्यक्ष या सचिव और परीक्षा बोर्ड के दो सदस्य से कोरम होगा ।

15. **अध्यक्ष बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा**,-

अध्यक्ष, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से किसी सदस्य को चुनकर बैठक की अध्यक्षता होगी ।

16. **बोर्ड का सचिव**,-

बोर्ड का सचिव सक्षमता प्रमाणपत्र धारक बायलर परिचरों का रजिस्टर रखेगा और इन नियमों में विनिर्दिष्ट या अध्यक्ष द्वारा समय समय पर दिए गए निदेश के अनुसार ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा ।

17. **आवेदन पर बोर्ड का पृष्ठांकन**,-

बोर्ड प्रत्येक आवेदक के मुद्रित आवेदन प्ररूप पर यथास्थिति, बायलर परिचर वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए उसकी परीक्षा के परिणाम पर पृष्ठांकन करेगा । पृष्ठांकित आवेदन सचिव को वापस होगा ।

18. **बोर्ड की प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति**,-

बोर्ड, प्रत्येक अभ्यर्थी को जो उसके सदस्यों के बहुमत की राय में वृद्ध या अंग विकार के माध्यम से शारीरिक रूप से अनुपयुक्त, कमजोर गठन या दोषपूर्ण दृष्टि या बहरापन या किसी अंग की क्षति के कारण, किसी बायलर परिचर की कर्तव्यों का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होता है से किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से उपयुक्तता का प्रमाणपत्र पेश करने का निदेश दे सकेगा । तथापि, यदि अभ्यर्थी बोर्ड को शारीरिक उपयुक्तता का प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है तो बोर्ड को बायलर परिचर के रूप में किसी सक्षमता प्रमाणपत्र को जारी करने से इंकार करने की शक्ति होगी ।

19. **परीक्षकों की फीस**,-

परीक्षक बोर्ड का प्रत्येक सदस्य और अध्यक्ष तथा सचिव के सिवाय नियम 9 के अधीन नियुक्त प्रत्येक अन्य परीक्षक इन नियमों के अधीन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस प्राप्त करने का हकदार होगा और फीस की दर निम्नलिखित होगी :-

(क) बोर्ड बैठक के लिए गैर पदेन बोर्ड सदस्यों के लिए बैठक की फीस - 500/- रुपए

(ख) वर्ग-1 बायलर परिचर के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए फीस - 20/- रुपए

(ग) वर्ग-2 बायलर परिचर के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए फीस - 10/- रुपए

20. **बोर्ड की कार्रवाई**,-

बोर्ड की कोई कार्रवाई, बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर या बोर्ड में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी ।

अध्याय 4

परीक्षा

21. **परीक्षा,**-

बोर्ड द्वारा आयोजित किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा ऐसे स्थान और ऐसी तारीख पर होगी जो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में समय समय पर सचिव द्वारा अधिसूचित हो सकेगी ।

22. **परीक्षा का मुल्तवी होना,**-

जब परीक्षा के लिए नियत किसी दिन राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया है या जब किसी अकल्पित कारण के लिए नियत दिन पर किसी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है अध्यक्ष, किसी अन्य दिन को परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कर सकेगा और उसे अभ्यर्थियों और परीक्षक बोर्ड की सदस्यों को भी सम्यक् रूप से अधिसूचित करेगा ।

अध्याय 5

प्रमाणपत्र

23. **प्रमाणपत्रों के वर्ग और प्रमाणपत्र धारकों की सक्षमता,**-

(1) इन नियमों में जैसा उपबंधित है सिवाय उसके अधीन प्रदान किए जाने वाले सक्षमता प्रमाणपत्र के दो वर्ग होंगे । प्रथम वर्ग प्रमाणपत्र का अर्हताप्राप्त धारक जो किसी भी प्रकार के वाष्प पाइपों के साथ किसी एकल बायलर या धारिता या किसी श्रृंखला में दो या अधिक बायलर या बहुत से पृथक व्यष्टिक बायलरों का, कुल उष्मित पृष्ठ जो एक हजार वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी, का प्रभारी होगा, परंतु ऐसे बायलर उसी परिसर में तीस मीटर की त्रिज्या के भीतर स्थित होंगे और एक ही स्वामी के होंगे तथा वह एक दूसरे वर्ग के बायलर परिचर या ऐसी फायरमैनों की ऐसी संख्या द्वारा सहायता प्राप्त होगी जो मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर द्वारा आवश्यक समझी जाए ।

(2) किसी दूसरे वर्ग का प्रमाणपत्र का अर्हताप्राप्त धारक किसी भी प्रकार की ऊष्मा पाइप के साथ एकल बायलर, जिसकी कुल ऊष्मित पृष्ठ दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक नहीं होगी, का भारसाधक होगा । दूसरे वर्ग बायलर परिचर तथापि बायलरों की किसी श्रृंखला जिसमें तीन से अनधिक संबद्ध बायलर से मिलकर नहीं बनेगा और जिसका कुल ऊष्मित पृष्ठ का औसत दो सौ वर्गमीटर से अनधिक नहीं होगा उसे ऐसी संख्या में फायर मैन की सहायता प्राप्त होगी जो मुख्य निरीक्षक या बायलर निरीक्षक द्वारा आवश्यक समझी जाए :

परंतु यह कि—

(i) इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व सरकार द्वारा जारी सक्षम प्रथम श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई बायलर परिचर उपरोक्त (1) पर वर्णित क्षमता के बायलर (बायलरों) का भारसाधक का पात्र होगा ।

(ii) इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व सरकार द्वारा जारी सक्षम द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई बायलर परिचर उपरोक्त (1) पर वर्णित क्षमता के बायलर (बायलरों) का भारसाधक का पात्र होगा ।

(iii) इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व सरकार द्वारा सक्षम प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र में यथावर्णित क्षमता के बायलर (बायलरों) का भारसाधक बनने का पात्र होगा ।

24. **किसी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन,-**

किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक कोई व्यक्ति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जहां वह सेवा के लिए आवेदन करता है में विधिमान्यता के लिए प्रमाणपत्र पृष्ठांकन के लिए आवेदन करेगा । ऐसा पृष्ठांकन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

25. **फीस,-**

प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के लिए संदत्त फीस 100/- रुपए (एक सौ रूपए) जो अप्रतिदेय होगी । फीस खजाना चालान या ऐसे अन्य ढंग से जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए संदत्त होगी ।

अध्याय 6

परीक्षा के लिए आवेदन

26. **आवेदन का प्ररूप,-**

परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप ' क' में होगा । आवेदक प्ररूप के ऐसे भाग को भरेगा जो किसी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना होगा और किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट या अपने नियोक्ता की उपस्थिति में प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा जो उसके हस्ताक्षरों को प्रमाणित करेंगे । इस प्रकार भरे गए आवेदन सचिव को भेजने होंगे और उनके साथ निम्नलिखित होगा -

(क) शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में प्रमाणपत्रों में प्रत्येक की एक सत्यापित प्रति और अभ्यर्थियों के प्रयोगात्मक अनुभव के लिए उनकी प्रतियों के साथ मूल प्रमाणपत्र । शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में सभी मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे ;

(ख) अपने नियोजक से अच्छे चरित्र का शंसापत्र के साथ उम्र का प्रमाणपत्र ;

(ग) खजाना चालान या परीक्षा के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के समर्थन में इस निमित्त विनिर्दिष्ट सरकार को ऐसी अन्य रीति में जो आवेदक जिसे वरीयता दे ; और

(घ) नवीनतम पासपोर्ट आकार के (आकार 50एमएमX 65एमएम) फोटो की दो प्रतियां, एक के पीछे आवेदक हस्ताक्षर करेगा जिसे राजपत्रित अधिकारी या अभ्यर्थी का नियोजक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित होंगे ।

27. **अभ्यर्थी का समाधानप्रद शंसापत्र प्रस्तुत करना,-**

(1) कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं होगा जो अपने अनुभव सक्षमता और अपनी अर्हताप्राप्त सेवा की संपूर्ण अवधि या अर्हताप्राप्त सेवा की अवधि में किसी बिना खाते के खंडता के लिए अच्छे आचरण का समाधानप्रद शंसापत्र का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है । ऐसा शंसापत्र में स्पष्टतः यह अधिकथित होगा कि अभ्यर्थी किस क्षमता में नियुक्त था जैसे प्रशिक्षु परिचर या द्वितीय वर्ग बायलर परिचर आदि और ऐसे नियोजन की अवधि की तारीखें जिसके मध्य ऐसा अभ्यर्थी नियोजित था ।

(2) कोई शंसापत्र किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसके अधीन अभ्यर्थी नियोजित था और उस पर मिल, कारखाना या वर्कशॉप के स्वामी या अभिकर्ता या इस निमित्त सरकार द्वारा विहित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा ।

(3) अभ्यर्थी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या तकनीकी संस्थान से प्रशिक्षण का कोई पाठ्यक्रम किया है, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में लगी अवधि में दिए गए प्रधानाचार्य या संस्थान के अधीक्षक से पाठ्यक्रम का या तो प्रमाणपत्र/डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करेगा ।

(4) वाष्प पोत में सेवा के संबंध में किसी शंसापत्र पर मुख्य निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित हो सकेगा और प्रतिहस्ताक्षर पोत के मास्टर द्वारा या किसी शिपिंग मास्टर द्वारा जारी किसी नाविक का निर्वहन प्रमाणपत्र के प्ररूप में हो सकेगा ।

(5) रेल बायलर या किसी सरकारी विभाग या स्थानीय निकाय के बायलरों में सेवा का शंसापत्र किसी उत्तरदायी प्राधिकारी जिसके अधीन अभ्यर्थी ने सीधे सेवा की है द्वारा हस्ताक्षरित होगा और प्रतिहस्ताक्षरित संबद्ध विभाग के प्रमुख द्वारा होगा ।

28. **शंकाप्रद शंसापत्र,-**

यदि सचिव किसी आवेदन या शंसापत्र में किए गए किसी कथन की सत्यता पर कोई शंका का कारण रखता है वह ऐसी जांच कर सकेगा जो उसके सत्यापन के लिए वह उचित समझे ।

29. **मिथ्या शंसापत्र,-**

(1) यदि सचिव को जांच पर यह समाधान हो जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए किसी शंसापत्र में कोई तात्विक विशिष्टियां मिथ्या हैं वह अध्यक्ष को अपने निष्कर्ष भेजेगा जो ऐसे अभ्यर्थी को इन नियमों के अधीन आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश से विवर्जित कर सकेगा । यदि ऐसी शंसापत्र की सामर्थ पर कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में पहले से ही प्रवेश ले लेता है वह ऐसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण समझा जाएगा और जो ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर घोषित किया गया है पर उसे दिए गए प्रमाणपत्र को तत्काल वापस लिया जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा रद्द होगा :

परंतु इस नियम के अधीन आवेदक को विषय में सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी ।

(2) कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित होता है आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा और जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

30. **आवेदन और शंसापत्र की प्रतियों को रखना.-**

अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए आवेदन और शंसापत्र की प्रतियां अध्यक्ष के कार्यालय में रखी जाएंगी । मूल शंसापत्र अभ्यर्थी को यथासंभवशीघ्र वापस होंगे ।

अध्याय 7

पात्रता मानदंड

31. **द्वितीय वर्ग बायलर परिचर अभ्यर्थियों के लिए उम्र अर्हताएं और अनुभव,-**

द्वितीय वर्ग के किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए कोई अभ्यर्थी अट्ठारह वर्ष की उम्र से अन्यून नहीं होगा और वह परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक कि वह :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेसन या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण न हो ; और

(ख) और उसने किसी वाष्प बायलर पर फायरमैन या प्रचालक या सहायक फायरमैन या सहायक प्रचालन के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा की हो ; या

(ग) किसी फिटर के रूप में जहां बायलर विनिर्मित या परिनिर्मित प्रचालित या मरम्मत होते हैं में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की हो इसके साथ-साथ वह एक वर्ष से अन्यून सहायक फायरमैन के रूप में सेवा की हो ; या

(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र धारक की दशा में, लघु उद्योग बायलर पर दो वर्ष से अन्यून अनिवार्य रूप से सेवा की हो ।

32. **प्रथम वर्ग बायलर परिचर अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित उम्र, अर्हताएं और अनुभव,-**

प्रथम वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए किसी अभ्यर्थी की उम्र बीस वर्ष से अन्यून न होगी और वह द्वितीय वर्ग का प्रमाणपत्र धारक हो और वह परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक कि वह :-

(क) द्वितीय वर्ग सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ बायलर परिचर के रूप में किसी बायलर के एकल भारसाधक के रूप में जिसकी रेटेड उष्मित सतह पचास वर्गमीटर से अन्यून नहीं है के भारसाधक के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा न की हो ; या

(ख) किसी औद्योगिक या तकनीकी संस्थान के प्रमुख से कोई प्रमाणपत्र की उसने तीन वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा किया है जिसमें से एक वर्ष उसने किसी मिल, कारखाने या किसी इंजीनियरी वर्कशाप जहां इंजन और बायलर की मरम्मत या निर्मित किए जाते हैं में प्रशिक्षुता की है और इसके साथ उसने द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ पचास वर्गमीटर उष्मित क्षेत्र से अन्यून किसी बायलर के एकल कार्यकारी व्यवहार के रूप में एक वर्ष से अन्यून सेवा की है का प्रमाणपत्र देता है ; या

(ग) पचास वर्गमीटर से अधिक उष्मित सतह रखने वाले किसी बायलर पर प्रथम वर्ग बायलर परिचर के प्रभार के अधीन द्वितीय वर्ग बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ फायरमैन या सहायक फायरमैन के रूप में दो वर्ष से अन्यून कार्य किया है ।

अध्याय 8

परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण

33. **द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के लिए पाठ्यविवरण,-**

कोई अभ्यर्थी द्वितीय वर्ग सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए अर्हक होने के क्रम में परीक्षकों को समाधानप्रद रूप में अन्य बातों के साथ-साथ -

(क) वह स्पष्ट रूप से -

(i) वह किसी वाष्प बायलर और इकोनोमाइजर की कार्यकरण और प्रबंध को समझता है ;

(ii) विभिन्न वाल्वों, टोंटियां, स्थापन और फिटिंग्स का उपयोग और प्रयोजन ;

(iii) आग प्रारंभ करने और जब वाष्प उठने लगे से पहले ली जाने वाली पूर्वावधानियां और प्रक्रिया ;

(iv) भरक पंप और इंजेक्टर का उपयोग ;

(v) दाब गेज को पाठन ;

(vi) आवधिक सफाई और शुद्ध जल प्रदाय तथा मापक या अन्य उष्मित सतह पर अन्य जमाव को रोकने के लिए आवश्यकताएं ;

(vii) बायलर का आवधिक निरीक्षण के लिए आवश्यकता और वह रीति जिसमें विस्तृत निरीक्षण, हाइड्रोलिक जांच और वाष्प जांच के लिए तैयारी होगी ;

(viii) बायलर जो वाष्प के अधीन किसी अन्य बायलर से संबद्ध है में किसी व्यक्ति के प्रवेश या अनुज्ञात करने से पहले ली जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(ix) धुंए को रोकने के लिए आग का उचित साधन का उपयोग ;

(x) वाष्प नली में पानी के जमाव का खतरा और निकास के लिए प्रेक्षण की पूर्वावधानियां ;

(xi) पानी की कमी या भट्टी का उभरना या टूटफूट या नालिकाओं का फट जाना या वाष्प नली में किसी दुर्घटना का होना ;

(xii) पूर्वावधानियां का लेना जब किसी इकोनोमाइजर का कार्य किसी विराम की अवधि के पश्चात् प्रारंभ होता है ; और

(xiii) कमीशन में किसी इकोमोनाइजर को लाने में अंगीकृत किया जाने वाला प्रक्रिया और स्टीम पर जब बायलर है उसे कमीशन आउट करने में भी रखना ।

(ख) वह सक्षम है,-

(i) किसी बायलर में कोयले भरने के साथ-साथ उसे साफ करने और कर्मकार के समान रीति में आग को किनारे करने में सक्षम है ;

(ii) यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि किस प्रकार परिहार्य धुंए को रोका जा सकेगा ;

(iii) जलप्रमापी कांच और जांच टोंटी को फूंक माध्यम से और शुद्धता की जांच में ;

(iv) किसी माप कांच को बदलना और मिथ्या जल स्तर को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है को प्रदर्शित करने में सक्षम होना ;

(v) किसी सुरक्षा वाल्व को ढीला करना और किसी नीचे बहाव टोंटी या वाल्व का बहाव करने में उपयोग करना ;

(vi) किसी उच्च वाष्प और निम्न जल सुरक्षा वाल्व को समायोजित करने और किसी गलनीय डाट को बदलना ;

(vii) पंप को लगाने या वाल्व पेटी ग्रंथी को भरना ;

(viii) टोंटी को वाल्वों को घिसने और उनको समायोजित करना ;

(ix) भरण पंप या हिस्से को भरने और उनको कार्य करने के दौरान बदलना ; और

(x) इकोमोनाइजर को साफ रखने के लिए दिए गए उपष्करों का उपयोग करना ।

34. **प्रथम श्रेणी बायलर परिचर के लिए पाठ्यविवरण,-**

किसी अभ्यर्थी को प्रथम श्रेणी की सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए अर्हत होने के क्रम में परीक्षक का यह समाधान करना होगा कि द्वितीय श्रेणी की सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए विनिर्दिष्ट विषयों के साथ-साथ वह दहन ऊष्मा और वाष्प से संबंधित प्रमुख प्रारंभिक तथ्यों का कम से कम प्राथमिक ज्ञान रखता है : और वह अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों को स्पष्ट करने में सक्षम होगा -

(क) वाष्प बायलर उच्च उष्मक और इकोनोमाइजर के कार्यकरण और प्रबंध रखना ;

(ख) विभिन्न वाल्वों, टोंटी लगाई गई फिटिंग्स और अन्य लगाई गई फिटिंग और अन्य सुरक्षा युक्तियों का उपयोग और उनका प्रयोजन करना ;

(ग) भरक पंप भरक अंतःक्षेपित्र भरक विनियामक भरक जल निस्यंदक भरक तापक, वायु तापक उष्मक वाष्प संचायक प्रणोदित वात प्रवाह, प्रेरित वात प्रवाह और स्वचालित वात प्रवाह नियंत्रक युक्तियां के विवरणों और उनके कृत्यों को करना ;

(घ) दहन, ऊष्मा और वाष्प तथा किसी भूमि बायलर में कोयला और पानी तथा वाष्प का परिणाम के खपत की गणना करना के विभिन्न वात प्रवाह के अधीन ऊष्मित सतह के दिए गए जालिका क्षेत्र से उत्पन्न हो सकेगा और बायलर प्लांट की संपूर्ण सक्षमता का परिकलन करने से संबंधित तथ्यों पर प्रश्नों के उत्तर देगा ;

(ङ) धुंए को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य साधित्रों की सार्थकता को और वो सिद्धांत जिसपर वह कार्य करते हैं तथा मुख्य यांत्रिक स्टोकर, प्रेषणी, गैस और चुर्नित इंधन प्रणाली में उपयोग का वर्णन करने में सक्षम होंगे ;

(च) आवधिक सफाई की आवश्यकता को पपड़ी या उष्मित सतह के अन्य जमाव को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां तथा भरक जल में कतिपय पीएच मान को बनाए रखने के लिए आवश्यकताएं ;

(छ) बायलर में त्रुटियों को खोजने और उन्हें ठीक करने के साधन और पद्धतियों को वर्णित करना ;

(ज) किसी बायलर को प्रारंभ करने के लिए लिए जाने वाले पूर्वावधानियां और ठंड से या आग के ढेर की दशा में से इकोमोनाइजर को प्रारंभ करने की पूर्वावधानियां को करना ;

(झ) जब बायलर में वाष्प है में किसी इकोमोनाइजर को कमीशन से बाहर रखने के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया को करना ;

(ञ) इंधन मितव्ययता को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और किसी बायलर हाउस में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के उपयोग करना ;

(ट) संक्षारण परपटी भवन के मुख्य कारण और उनका प्रभाव और उपनाए जाने वाले सामान्य उपचार ;

(ठ) जल मृदुकार के उपयोग का उद्देश्य ;

(ड) सिद्धांत जिसपर भरक पंप और अंतःक्षेपित्र कार्य करते हैं ;

(ढ) सिद्धांत जिसपर धुएं को रोकने के लिए साधित्र कार्य करते हैं ; और

(ण) उच्च तापक इकोनोमाइजर भरक तापक भरक निस्यंदक, सशक्त और प्रेरित वात प्रवाह उपस्करों और यांत्रिक कोयला भरक का प्रयोजन ;

अध्याय 9

परीक्षा का ढंग

35. **परीक्षा की प्रकृति,-**

किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा की प्रकृति ऐसी होगी कि वाष्प उत्पन्न करने वाले बायलरों के प्रभारी होने में अभ्यर्थी की व्यवहारिक सक्षमता और तकनीकी ज्ञान की जांच को सक्षम होगा ।

36. **परीक्षा के लिए विषय,-**

परीक्षा निम्नलिखित रीति में आयोजित होगी :-

(क) बायलर व्यवहार से संबंधित प्रश्नोत्तर के मौखिक परीक्षा ; और

(ख) परीक्षक द्वारा यदि अपेक्षित हो तो परीक्षा कक्ष में प्रदर्शित करना या किसी बायलर हाउस में उसके कर्तव्यों के व्यवहारिक पहलुओं को निष्पादन की उसकी सक्षमता प्रदर्शित करना ।

37. **परीक्षा के लिए फीस,-**

(1) किसी अभ्यर्थी को सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए निम्नलिखित फीस का संदाय करना होगा :-

(क) प्रथम वर्ग प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा : रुपए 500/- (पांच सौ रुपए केवल) ;

(ख) द्वितीय वर्ग प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा : रुपए 300/- (तीन सौ रुपए केवल) ;

(2) फीस खजाना चालान या ऐसे अन्य ढंग से जो इस निमित्त सरकार अधिसूचित करे, द्वारा संदत्त होगी ।

38. **फीस का प्रतिदाय,-**

कोई अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा में एक बार प्रवेश कर लेने पर फीस के किसी प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा । जब कोई अभ्यर्थी नियत तिथि को परीक्षा में अपरिवर्जनीय अनुपस्थित रहता है अध्यक्ष अगली परीक्षा में दूसरी फीस के संदाय के बिना उसे उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

39. **अपात्र पाए गए अभ्यर्थी की फीस,-**

कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा फीस का संदाय कर देता है किन्तु किसी परीक्षा के लिए अपात्र पाया जाता है उक्त फीस संपहरण कर ली जाएगी ।

अध्याय 10

प्रमाणपत्र प्रदान करना

40. **सक्षमता का प्रमाणपत्र प्रदान करना,-**

यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण करता है उसका परिणाम राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के राजपत्र में अधिसूचित होता है और उसे ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथासंभवशीघ्र सक्षमता के प्रमाणपत्र प्रदान होगा ।

41. **प्रमाणपत्र का प्ररूप,-**

किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र यथास्थिति, प्ररूप 'ख' या प्ररूप 'ग' में होगा ।

42. **किसी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के लिए आवेदन,-**

किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा जारी प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के लिए प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्ररूप 'क' में करना होगा ।

43. **पहचान की अपेक्षाएं,-**

इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र पर नियम 26 के अधीन उसके आवेदन के साथ पूर्व में जमा किए गए धारक के वक्ष तक का चित्र होगा और उसके हस्ताक्षर और ऐसे अन्य विवरण जो पहचान के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों, होंगे ।

44. **प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति प्रदान करना,-**

(1) जब किसी प्रमाणपत्र का धारक अध्यक्ष को समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर देता है कि इन नियमों के अधीन उसे प्रदान किया गया प्रमाणपत्र खो, चोरी या नष्ट या विकृत हो गया है उसे 200/- रुपए (दो सौ रुपए केवल) की फीस के संदाय पर प्रदान होगा, उपर्युक्त को ऐसे अभिलिखित करते हुए जिसे प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी की गई है वह उसका हकदार प्रतीत होता है, उसकी सभी प्रयोजनों के लिए मूल प्रमाणपत्र के समान विधिमान्यता होगी । फीस खजाना चालान द्वारा या ऐसे अन्य ढंग से जो इस निमित्त सरकार अधिसूचित करे द्वारा संदत्त होगी ।

(2) यदि जांच में सचिव का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा किया गया कथन मिथ्या है वह उक्त बोर्ड के अगली बैठक में मामले की रिपोर्ट करेगा और बोर्ड का यह विवेक होगा कि वह प्रमाणपत्र या तत्काल उपर्युक्त द्वितीय प्रमाणपत्र को जारी करने की अनुज्ञा या बोर्ड बारह मास से अनधिक ऐसी अवधि के पश्चात् प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की बाबत उचित समझे निरस्त कर सकेगा ।

45. **प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन,-**

किसी प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस घोषणा के साथ होगा कि इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र खो गया है, के साथ अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत होगा ।

46. **मूल प्रमाणपत्र की अविधिमान्यता,-**

किसी प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के जारी होने पर मूल प्रमाणपत्र की विधिमान्यता प्रवरित हो जाएगी और यदि धारक के कब्जे में है तो वह अध्यक्ष के कार्यालय को निरस्त करने के लिए वापस करेगा ।

47. **प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का अभिलेख,-**

इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए सभी प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति अध्यक्ष के कार्यालय में अभिलिखित होगी ।

अध्याय 11

जांच

48. प्रमाणपत्र धारक की बाबत जांच,-

यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को चाहे किसी भी कारण से यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के अधीन सक्षमता के प्रमाणपत्र धारक किसी बायलर परिचर के भाग पर असक्षमता, मद्यता या कदाचार या उपेक्षा का अभिकथन किया गया है कि जांच या तो स्वयं ऐसी जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करा सकेगा, और -

(क) जांच का विषय ऐसे प्ररूप में संचालित होगी कि व्यक्ति की उपस्थिति में कार्रवाइयां संचालित होंगी और उसे कोई कथन करने का जिसे वह करना चाहे और अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य देना चाहे का अवसर दिया जाएगा ;

(ख) किसी ऐसी जांच की कार्रवाइयों के साथ जांच का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा उनपर अपने निष्कर्ष बोर्ड को विनिश्चय के लिए उक्त अधिकारी द्वारा भेजे जाएंगे ।

49. प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण,-

जब नियम 48 के अधीन कोई जांच संचालित की जाती है ऐसे प्रमाणपत्र का धारक जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा मांग पर अपने प्रमाणपत्र को ऐसी जांच के परिणाम के लंबित होने तक उक्त अधिकारी को तत्काल अभ्यर्पित करेगा ।

50. बोर्ड का विनिश्चय,-

(1) नियम 48 के अधीन संचालित किसी जांच की कार्रवाइयों के साथ उन पर निष्कर्ष की प्राप्ति पर, बोर्ड प्रमाणपत्र को बनाए रखने या उसे ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने के लिए जो वह उचित समझे या प्रमाणपत्र को स्थायी रूप से रद्द कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने से पहले अभ्यर्थी को मामले में सुनवाई का अवसर देगा ।

(3) बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप - 'क'

(नियम 26 और 42 देखें)

बायलर परिचर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

भाग 1 - आवेदक का नाम आदि

1. नाम (पूरा नाम)
2. पिता का नाम
3. राष्ट्रीयता
4. जन्म तिथि
5. जन्म का स्थान
6. स्थायी पता
7. क्या पूर्व में किसी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है
8. यदि हां, तो उसके स्थान और तारीख का ब्यौरा

फोटोचित्र

भाग 2 : प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाणपत्रों की विशिष्टियां

प्रमाणपत्र की संख्या	प्रमाणपत्र का वर्ग	जारी करने का स्थान	जारी करने की तारीख	यदि किसी समय निलंबित या रद्द हुआ है और यदि हां तो किसके द्वारा	निलंबन या रद्द करने की तारीख	निलंबन या रद्दकरण के कारण
1	2	3	4	5	6	7

भाग 3 : शंसापत्रों की सूची और सेवा की विवरणी

(नीचे स्तंभ 1 में दिए गए नंबरों के तत्स्थानी क्रम संख्याकों में शंसापत्रों को संख्यांक दें)

शंसापत्रों का क्रम सं.	शंसापत्रों की तारीख	शंसापत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम	कारखाने या वर्कशाप जहां वह नियोजित है का पता और पदनाम	कार्यरत बायलरों की सं., प्रकार और उष्मित सतह	क्षमता जहां वह नियोजित है	आवेदक की सेवा		अवधि जिसके लिए वह नियोजित था			आवेदक द्वारा नहीं भरा जाए	
						प्रारंभ की तारीख	समाप्ति की तारीख	वर्ष	मास	दिन	सत्यापक के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

कुल सेवा ।

सेवा की अवधि जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए हैं ।

सेवा की अवधि जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

भाग 4 - आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में किया गया मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में कथन सही और सत्य है ; और भाग 2 में संख्यांकित कागजपत्र तथा इस प्ररूप के साथ जमा दस्तावेज सत्य और वास्तविक है और यह कि इस प्ररूप के साथ भेजे गए दस्तावेजों की प्रतियां सत्य और सही हैं । मैं यह और घोषणा करता हूं कि भाग 3 में किया गया कथन बिना अपवाद के मेरी सेवा की कुल अवधि के विवरण सत्य और सही है तथा मैं यह घोषणा शुद्ध अंतःकरण से यह विश्वास करने का कारण कि वह सही हैं ।

20 के मास के दिन को

आवेदक के हस्ताक्षर

वर्तमान पता

..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

टिप्पण :- 1 - प्रत्येक आवेदन के साथ सरकार द्वारा विहित रूप में जो अपेक्षित फीस निश्चित रूप से संलग्न होगी ।

2. आवेदक के नवीनतम वक्ष तक के दो फोटोचित्र (आकार पचास मिलीमीटर x पैंसठ मिलीमीटर) आवेदन के साथ होंगे जिसके पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर पूर्ण जो सम्यक रूप से किसी राजपत्रित अधिकारी या अभ्यर्थी के नियोजक द्वारा सत्यापित होंगे ।

3. कोई व्यक्ति परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए कोई मिथ्या कथन करता है वह अभियोजन का दायी होगा ।

4. अपूर्ण आवेदन निरस्त होने के दायी होंगे ।

भाग 5

(आवेदक द्वारा नहीं भरा जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... प्रथम वर्ग/द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के लिए परीक्षित किए गए और उन्होंने ..... दौरान आयोजित होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुतीर्ण हुए ।

प्रथम वर्ग /द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को जारी होगा जब पास होना प्रमाणित है ।

प्रमाणपत्र सं. ..... जारी होने की तारीख ..... और दूसरी प्रति अभिलिखित की गई ।

(सचिव)

परीक्षक बोर्ड

प्ररूप ख

(नियम 41 देखें)

(सक्षमता का प्रथम वर्ग बायलर परिचर प्रमाणपत्र)

(बायलर परिचर नियम, 2011 को नियम 41 के अधीन प्रदत्त)

..... का सं.....

श्री..... उम्र लगभग ..... वर्तमान निवासी .... प्रथम वर्ग बायलर परिचर के कर्तव्यों को पूर्ण करने की सक्षमता का परीक्षक बोर्ड का समाधान हो गया है बायलर परिचर नियम, 2011 के अधीन प्रथम वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के इस प्रमाणपत्र के द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी प्रकार के वाष्प नली के साथ एकल बायलर या क्षमता या किसी श्रृंखला में या पृथक वाष्प नलिकाओं के साथ दो या अधिक बायलरों जिनका कुल उष्मित सतह 1000 वर्ग मीटर से अनधिक नहीं है परंतु ऐसे बायलर उसी परिसर में तीस मीटर के व्यास में अवस्थित हैं और एक ही स्वामी के हैं प्रदान किया जाता है ।

20..... के ..... मास के.....दिन..... को

सचिव
परीक्षक बोर्ड

अध्यक्ष
परीक्षक बोर्ड

फोटोचित्र

सूची का विवरण

1. जन्म तिथि और स्थान.....
2. स्थायी पता .....
3. राष्ट्रीयता .....
4. लंबाई (बिना जूते के).....
5. पहचान के चिन्ह .....
6. दाएं हाथ का अंगूठा निशान .....

आवेदक के हस्ताक्षर
पृष्ठांकन

प्ररूप ग

(नियम 41 देखें)

(सक्षमता का द्वितीय वर्ग बायलर परिचर प्रमाणपत्र)

(बायलर परिचर नियम, 2011 को नियम 41 के अधीन प्रदत्त)

..... का सं.....

श्री..... उम्र लगभग ..... वर्तमान निवासी .... द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के कर्तव्यों को पूर्ण करने की सक्षमता का परीक्षक बोर्ड का समाधान हो गया है बायलर परिचर नियम, 2011 के अधीन द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के इस प्रमाणपत्र के द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी प्रकार के वाष्प नली के साथ एकल बायलर जिसका कुल उष्मित सतह 200 वर्ग मीटर से अनधिक नहीं है । वह तथापि बायलरों की किसी श्रृंखला जिसमें तीन संबद्ध बायलर से अधिक न हों (जिसका कुल उष्मित क्षेत्र 150 वर्गमीटर से अनधिक न हो उसे ऐसी संख्या में फायरमैन द्वारा सहायता प्राप्त है जो मुख्य निरीक्षक बायलर द्वारा आवश्यक समझी जाए) ।

20..... के ..... भास के.....दिन..... को

सचिव
परीक्षक बोर्ड

अध्यक्ष
परीक्षक बोर्ड

फोटोचित्र

सूची का विवरण

1. जन्म तिथि और स्थान.....
2. स्थायी पता .....
3. राष्ट्रीयता .....
4. लंबाई (बिना जूते के).....
5. पहचान के चिन्ह .....
6. दाएं हाथ का अंगूठा निशान .....

आवेदक के हस्ताक्षर

पृष्ठांकन.....

[फा. सं. 6(11)/2009-बायलर]
रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2011

G.S.R. 213(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I
Preliminary

1. Short title and commencement.–

(1) These Rules may be called the Boiler Attendants' Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of notification in the Official Gazette.

2. **Definitions.**–

In these rules, unless the content otherwise requires,-

(a) "Act" means the Boilers Act, 1923, (5 of 1923);

(b) "Board" means the Board of Examiners constituted under these rules;

(c) "Boiler Attendant" means a person granted with a Certificate of Competency as a boiler attendant of the class under these rules;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(e) Chief Inspector" shall have the meaning assigned to it under clause (c) of section 2 of Boilers Act, 1923 (5 of 1923);

(f) "Form" means a form appended to these rules;

(g) "Government" means the State Government or Administration of Union Territory;

(h) "Secretary" means the Secretary to the Board;

(i) "Section" means a Section of the Act;

(j) any reference in these rules to a boiler or boilers shall be deemed to include also a reference to an economiser or economisers;

CHAPTER-II
GENERAL

3. Person holding Boiler Attendant's Certificate to be in charge of Boilers.– The owner of a single boiler or two or more boilers connected in a battery or of many separate individual boilers should have a boiler attendant as mentioned in rule 23 in addition to such number of boiler attendants as may be specified by the Chief Inspector or Director of Boilers:

Provided that the Chief Inspector or Director of Boilers may permit any Boiler Attendant to remain in-charge of a boiler for a maximum period of three months not withstanding any thing contrary contained in these rules:

Provided further that nothing in these rules shall debar a person holding a first class certificate of competency granted under these rules from remaining in attendance and in charge of a boiler or boilers of any size and any such certificate shall for the purpose of these rules be deemed to have been granted under these rules.

4. Competent person shall possess certificate and extent of qualification.– No person who does not possess a certificate of competency as a boiler attendant under these rules shall be deemed a fit and proper person to hold charge of a boiler.

5. Production of Certificate.– Boiler attendant holding a certificate of competency under these rules shall, at all reasonable times during the period any boiler is in his charge or attendance, be bound to produce such certificate when called upon to do so by any of the persons empowered under section 15 to call for the production of a certificate or provisional order granted under the Act.

6. Owner to furnish Chief Inspector or Director of Boilers with particulars of Certificates.–

(1) The owner of a boiler who engages any person to be in-charge thereof, shall within seven days of such engagement furnish to the Chief Inspector or Director of Boilers with full particulars of such person including the serial number, date and place of issue of his certificate.

(2) The owner of a boiler who engages any person to hold charge of such boiler, in the event of such person leaving his employment or in the event of the death of such person, report that fact within seven days to the Chief Inspector or Director of Boilers.

7. Limits of daily period of attendance, reliefs, and sphere of action.–

(1) Person in-charge of a boiler shall be deemed to be in direct and immediate charge of the same when he is within ten meters of such boiler.

(2) A person in-charge of a boiler or boilers for which a certificate of competency is required under these rules may be relieved of charge in any one day for not more than two periods, which when combined do not exceed two hours, in duration by a person holding a first class certificate of competency as an attendant.

(3) The holder of a first class certificate of competency as a boiler attendant may also with the consent in writing of the Chief Inspector or Director of Boilers, relieve a person holding a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer for a period which may extend to ten consecutive days which, in special circumstances, the Chief Inspector or Director of Boilers may extend to any length of time not exceeding thirty days at a time.

8. When Boiler shall be deemed to be in use.–

(1) Boiler shall be deemed to be in use for the purpose of these rules when there is fire in the furnace fire box or fire place for the purpose of heating the water in the boiler or under banked fire condition. A boiler shall be deemed to be not in use only when the fire is removed and all steam and water connections are closed.

(2) An economiser or waste heat boiler shall be deemed to be in use for the purpose of these rules when there is a flow of flue gases or other heating media past the economizer or waste heat boiler and an appreciable heat transfer takes place between the water and the heating gases or media.

CHAPTER III

BOARD OF EXAMINERS

9. Constitution of the Board of Examiners.–

(a) A Board of Examiners shall be constituted for the State or Union territory consisting of the Chief Inspector or Director of Boilers, a Deputy Chief Inspector or Inspector or equivalent as nominated by the Chief Inspector or Director of Boilers, and not less than three other members having academic and practical knowledge of prime movers and modern boiler practices to be appointed by the Government from time to time.

(b) The Chief Inspector or Director of Boilers shall be the ex-officio Chairman and Deputy Chief Inspector or Inspector or equivalent nominated by the Chief Inspector or Director of Boilers shall be the ex-officio Secretary to the Board.

10. Term of Office of the Members.–

The term of office of each of the members other than the ex-officio members of the Board shall be three years. If a member leaves the State or Union Territory permanently or absents himself from three consecutive meetings without the permission of the Board, he shall be deemed to have vacated his seat on the Board and another person may be appointed in his place for the unexpired portion of his term.

11. Functions of the Board.–

The Board of Examiners shall –

(i) conduct examinations and practical tests of candidates for the grant of certificates of competency as a Boiler Attendant Class-I & II;

(ii) have power to appoint any person as a paper setter and examiner at any examination;

(iii) grant certificate of competency as a Boiler Attendant Class-I & II ; and

(iv) consider the reports of enquiries into allegations of drunkenness, negligence of duty, misconduct on the part of Boiler Attendants.

12. Meeting of the Board.–

The Board shall meet as often as may in the opinion of the Chairman be necessary for transacting its business and at such place and time as may be appointed by the Chairman.

13. Notice of meeting and list of business.–

(1) Notice of not less than fifteen days from the date of posting shall be given of the time and place fixed for each meeting of the Board to every member of the Board, and with such notice shall be attached the list of business to be discussed at the meeting:

Provided that if the Chairman calls any meeting for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary, shall be deemed sufficient.

(2) Any business which is not on the list shall not be considered at the meeting except with the permission of the Chairman.

14. Quorum.–

The Chairman or the Secretary and two members of the Board of Examiners shall form a quorum.

15. Chairman to preside at meetings of the Board.–

The Chairman shall preside over all meetings of the Board and in his absence, a member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting.

16. Secretary of the Board.–

The Secretary shall maintain a register of Boiler Attendants holding certificates of competency and shall perform such other functions as are specified in these Rules or as the Chairman may direct from time to time.

17. Board's endorsement on application.–

The Board shall endorse on the printed application form of each candidate the result of his examination for a certificate of competency as a Boiler Attendant Class I and Class II, as the case may be. The endorsed application shall be returned to the Secretary.

18. Board's Power to refuse issue of Certificate.–

The Board may direct any candidate, who in the opinion of the majority of the members appears too old or physically unfit through deformity, constitutional weakness, defective eyesight, deafness or loss of a limb to perform efficiently the duties of a Boiler Attendant, to produce a certificate of fitness from a Registered Medical Practitioner. If, however, the candidate fails to produce a certificate of physical fitness, the Board shall have power to refuse the issue of a certificate of competency as a Boiler Attendant.

19. Examiner's Fees.–

Each member of the Board of Examiners and any other examiner appointed under rule 9 except Chairman and Secretary shall be entitled to receive fees for examining candidates under these rules and the rate of fees shall be as follows:-

(a) Sitting fee for non official Board Members for Board Meeting Rs.500/-

(b) Fee for examining each candidate for First Class Boiler Attendant Rs.20/-

(c) Fee for examining each candidate for Second Class Boiler Attendant Rs.10/-

20. Actions of the Board.–

No action of the Board shall be deemed to be invalid by reasons of any defect in the constitution of the Board or by reason of such action having been done during the period of any vacancy in the Board.

CHAPTER IV

EXAMINATION

21. Examination.–

Examination for the grant of certificate of competency as a Boiler Attendant shall be held by the Board at such place and on such dates as may be notified by the Secretary from time to time in the State or Union Territory.

22. Postponement of examination.–

When a date fixed for the examination is declared as a gazetted holiday or when for any unforeseen reason an examination cannot be held on the date fixed, the Chairman may fix some other date for holding the examination and the same shall be duly notified to the candidates and the members of the Board of Examiners.

CHAPTER V

CERTIFICATE

23. Classes of certificates and Capabilities of holders of Certificates.–

(1) Except as otherwise provided in these rules, there shall be two classes of certificates of competency granted hereunder. The certificate of the First Class shall qualify a holder thereof to be in-charge of a single boiler with steam pipes of any type or capacity or two or more boilers in a battery or of many separate individual boilers, the total heating surface of which does not exceed 1000 square meters, provided that such boilers shall be situated within a radius of 30 meters in the same premises and belong to one owner and provided he is assisted by a second class boiler attendant or such number of firemen as are considered necessary by the Chief Inspector or Director of Boilers.

(2) A certificate of the Second Class shall qualify the holder thereof to be in-charge of a single boiler with steam pipes of any type, the total heating surface of which does not exceed two hundred square meters. A Second Class boiler attendant may, however, attend to a battery of boilers consisting of not more than three connected boilers not exceeding two hundred square meters in aggregate of total heating surface provided he is assisted by such number of firemen as are considered necessary by the Chief Inspector or Director of Boilers.

Provided that-

(i) a Boiler Attendant holding First Class Boiler Attendant Certificate of Competency issued by a Government prior to the date of this Notification shall be eligible to be in-charge of boilers(s) of capacity mentioned at (1) above.

(ii) a Boiler Attendant holding Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency issued by a Government prior to the date of this Notification shall be eligible to be in-charge of boilers(s) of capacity mentioned at (2) above.

(iii) a Boiler Attendant holding Boiler Attendant Certificate of Competency of a Class other than First Class or Second Class issued by a Government prior to the date of this Notification shall be eligible to be in-charge of boilers(s) of capacity as mentioned in the Certificate of Competency.

24. Endorsement on a Certificate.–

(1) A person holding a certificate of competency as a Boiler Attendant granted by a Board of any other State or Union Territory shall on application have the certificate endorsed for validity in the State or Union Territory in which he applies for services. Such endorsement shall be made by the Chairman of the Board.

(2) A person holding a National Apprenticeship Certificate in the field of Boiler Attendant under the Apprentices Act, 1961 shall on application have the certificate endorsed equivalent to the Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency under these rules, in the State or Union Territory in which he applies for services. Such endorsement shall be made by the Chairman of the Board.

25. Fee.–

A Fee of Rs. 100/- (Rupees one hundred only) shall be paid for endorsement on the certificate which shall not be refundable. Fee shall be paid by Treasury Challan or such other mode as the Government may, by notification, specify in this behalf.

CHAPTER VI

APPLICATION FOR EXAMINATION

26. Form of application.–

Every application for examination shall be in Form 'A'. The applicant shall fill in such part of the Form as are to be filled in by a candidate and shall sign the form in the presence of a Gazetted Officer or any Magistrate or his employer who shall attest his signature. The application so filled in shall be forwarded to the Secretary and shall be accompanied by –

(a) one attested copy of each of the testimonials in respect of academic qualifications, and originals alongwith their copies for practical experience of the candidate. All originals in respect of academic qualifications shall be produced at the time of interview;

(b) testimonials of good character from his employer with a certificate of age;

(c) a Treasury Challan or such other mode as the Government may specify in this behalf in support of payment of the fee specified in these rules for the examination at which the applicant prefers to appear; and

(d) two copies of recent passport size photographs (size 50mm x 65mm) one of which shall bear the signature of the applicant on the back, duly attested by a Gazetted Officer or candidate's employer.

27. Candidate to produce satisfactory testimonials.–

(1) No candidate shall be admitted to an examination who can not produce satisfactory testimonials certifying his experience, ability and good conduct for the whole period of his qualifying service or any unaccounted break in the period of qualifying service. Such testimonials shall clearly state the capacity in which the candidate was employed viz. as an Apprentice Attendant or II Class Boiler Attendant etc. and the periods of such employment stating the dates between which candidate was so employed.

(2) A testimonial shall be signed by a person under whom the candidate was employed and be countersigned by the owner or agent of the mill, factory or workshop or by such other persons as the Government may prescribe in this behalf.

(3) Candidate who have undergone a course of training at an Industrial Training Institute or Technical Institution, must produce either the certificate/diploma of course or certificate from the Principal or Superintendent of the Institution giving the period devoted in completing the course.

(4) A testimonial in respect of service in a steamship may be signed by the Chief Engineer and counter signed by the master of the vessel or may be in the form of a seaman's discharge certificate issued by a Shipping Master.

(5) A testimonial of service rendered on railway boilers or boilers belonging to a Government Department or local bodies, shall be signed by a responsible officer under whom the candidate has directly served and countersigned by the head of the Department concerned.

28. Doubtful testimonials.–

If the Secretary has reason to doubt the truth of any statement made in any application or testimonials, he may make such enquiries as he thinks fit to verify the same.

29. False testimonials.–

(1) If on enquiry the Secretary is satisfied that any testimonial submitted by a candidate is false in any material particulars, he shall submit his findings to the Chairman who may by a written order debar such candidate from being admitted to any examination held under these rules. If, on the strength of any such testimonials, a candidate has already been admitted to an examination, he shall be deemed to have failed in such examination and any certificate granted to him as a result of his having been declared to have passed such examination, shall be forthwith recalled and be cancelled by a notification published in the Official Gazette:

Provided that no action shall be taken under this rule without giving the applicant an opportunity of being heard in the matter.

(2) Anybody aggrieved by the decision of the Chairman may within thirty days of the date of the receipt of the order, may appeal to the Government whose decision thereon shall be final.

30. Keeping of applications and copies of testimonials.–

Applications and copies of testimonials submitted by candidates shall be kept in the office of the Chairman. Original testimonials shall be returned to the candidate as soon as possible.

CHAPTER VII

ELIGIBILITY CRITERIA

31. Age, qualifications and experience for Second Class Boiler Attendant candidates.–A candidate for a certificate of competency as a Boiler Attendant of the Second Class shall not be less than eighteen years of age and shall not be admitted to the examination unless he:-

(a) has passed matriculation or equivalent examination from a recognized institution or board ; and.

(b) has served for not less than two years, in the capacity of a Fireman or Operator or an Assistant Fireman or Assistant Operator on a steam boiler; or

(c) has served for not less than three years as a fitter where boilers are manufactured or erected, operated or repaired. Out of this he should have served as Assistant Fireman for at least one year; or

(d) must have served for not less than two years on small industrial boilers, in case of Industrial Training Institutes certificate holder.

32. Age, qualifications and experience requirement for First Class Boiler Attendant candidates.–

A candidate for a certificate of competency as a Boiler Attendant of the first class shall not be less than twenty years of age and he possesses a certificate of the second class and shall not be admitted to the examination unless he-

(a) has served for not less than two years, as boiler attendant with second class certificate of competency as sole working charge of a boiler whose rated heating surface is not less than fifty square meters ; or

(b) produces from the head of an industrial or technical institution, a certificate stating that he has completed a three years course of training, one year of which must have been as an apprentice in a steam power plant of a mill or a factory or an engineering workshop where engines and boilers are repaired or made and in addition has served for not less than one year as sole working charge of a boiler of not less than fifty square meters of heating surface with second class Boiler Attendant certificate of competency; or

(c) has worked for not less than two years as Fireman or Assistant Fireman with second class Boiler Attendant certificate of competency under the charge of first class Boiler Attendant on boiler having heating surface of more than fifty square meters.

CHAPTER VIII

SYLLABUS FOR EXAMINATION

33. Syllabus for Second Class Boiler Attendant.–

A candidate, in order to be qualified for a certificate of competency of the Second Class, shall, inter alia, satisfy the examiners that-

(a) he clearly understands-

(i) the working and management of a steam boiler and economiser ;

(ii) the use and purpose of the various valves, cocks, mountings and fittings ;

(iii) the precautions to be taken and procedure to be observed before starting fires and when raising steam ;

(iv) the use of a feed pump and injector ;

(v) the reading of the pressure gauge ;

(vi) the need for periodical cleaning and pure water supply and for prevention of scale or other deposits on heating surfaces ;

(vii) the need for periodical inspection of boilers and the manner in which they should be prepared for thorough inspection, hydraulic test and steam test ;

(viii) the precautions to be taken before entering or allowing any person to enter a boiler that is connected to another boiler under steam ;

(ix) the use of the best means of firing for the prevention of smoke ;

(x) the danger of water lodging in steam pipes and the precautions to be observed in draining ;

(xi) the procedure to be followed in the event of shortage of water, bulging or fracture of furnaces or flat plates or bursting of tubes or of any accident to a boiler or steam pipe ;

(xii) precautions to be taken when starting an economiser to work after a period of rest ; and

(xiii) procedure to be adopted in bringing an economiser into commission and also for putting it out of commission while the boiler is on steam ; and that-

(b) he is able -

(i) to stoke a boiler including cleaning and banking fires in a workmanlike manner ;

(ii) to show how avoidable smoke may be prevented ;

(iii) to blow through and test the correctness of water gauge glasses and test cocks;

(iv) to replace a gauge glass and show how a false water-level might be shown ;

(v) to ease a safety valve and use a blow down cock or valve ;

(vi) to adjust a high steam and low water safety valve and renew a fusible plug ;

(vii) to pack pump or valve chest glands ;

(viii) to grind and adjust cocks and valves ;

(ix) to take a feed pump or injector to pieces and replace in working order ; and

(x) to handle the appliances provided for keeping the economiser clean.

34. Syllabus for First Class Boiler Attendant.–

A candidate, in order to be qualified for a certificate of competency of the First Class, shall satisfy the examiners that in addition to the subjects specified for candidates for certificate of competency of the Second Class, he has at least a rudimentary knowledge of the principal elementary facts relating to combustion, heat and steam ; and that he is able to explain inter alia -

(a) the working and management of steam boilers, super heaters and economizer;

(b) the use and purpose of various valves, cocks, mounting fitting and other mountings fitting and other safety devices;

(c) description and the functions of feed pumps, feed injector, feed regulators, feed water filters and softeners, feed heaters, air heaters, calorifiers, steam accumulators, force draught, induced draught and automatic draught control devices;

(d) answer to question on fact relating to combustion, heat and steam and calculate consumption of coal and water and quantity of steam that may be generated from a given grate area of heating surface under the various systems of draught, in any land boiler and also calculate the overall efficiency of boiler plant;

(e) the significance of principal appliance in use for the prevention of smoke and the principle on which they work and give description of the principal mechanical stokers, pulverizers, gas, oil and pulverized fuel systems in use;

(f) the need for periodical cleaning, the methods used for prevention of scale or other deposits of heating surfaces and the necessity for maintaining a certain PH value in feed water;

(g) detection of defects in boilers and state the means and methods of rectifying them;

(h) the precautions to be taken for starting a boiler and economizer from cold or from banked fire condition;

(i) the procedure to be adopted in putting an economizer out of commission while the boiler is on steam;.

(j) the methods adopted for the achievement of fuel economy and the use of various instruments used in a Boiler House;

(k) the principal causes and effects of corrosion and incrustation and the usual remedies employed;

(l) the object of the use of water softeners;

(m) the principles on which feed pumps and injectors work ;

(n) the principles on which appliances for the prevention of smoke works ; and

(o) the purpose of super-heaters, economizers, feed heaters, feed filters, forced and induced draft appliances and mechanical stokers.

CHAPTER IX

MODE OF EXAMINATION

35. **Nature of Examination.–**

Examination for certificate of competency as a Boiler attendant shall be of such nature as to test the practical ability and technical knowledge of the candidates to be in charge of steam generating Boilers.

36. **Subjects for Examinations.–**

Examination shall be conducted in the following manner:-

(a) An oral examination to answer questions pertaining to Boiler Practice; and

(b) if required by the examiner to demonstrate in the examination room or in a workshop his ability to carry out the practical aspects of his duties in a Boiler House.

37. **Fee for Examination.–**

(1) A candidate for examination for certificate of competency shall pay the fee as follows:-

(a) Examination for First Class Certificate: Rs.500/-(Rupees five hundred only);

(b) Examination for Second Class Certificate: Rs.300/-(Rupees three hundred only)

(2) Fee shall be paid by treasury challan or such other mode as the Government may notify in this behalf.

38 **Refund of Fee.–**

A candidate once admitted to an examination under these rules shall not be entitled to any refund of fee. When a candidate is unavoidably absent from the examination on the date fixed, the Chairman may allow him to appear without payment of a second fee at the next examination.

39 **Fee of candidate found ineligible.–**

A candidate who has paid the examination fee but is found ineligible for an examination shall forfeit the said fee.

963911-5

CHAPTER X

GRANT OF CERTIFICATES.

40. **Grant of certificate of competency** – If a candidate passes the Examination, his result shall be notified in the State or Union Territory Official Gazette and he shall be granted a certificate of competency as soon as practicable after such publication.

41. **Form of certificate.–**

A certificate of competency as a Boiler Attendant shall be in Form 'B' or Form 'C' as applicable.

42. **Application for endorsement on a certificate.–**

An application for endorsement in the certificate for validity in a State or Union Territory other than the State or Union Territory of issue, shall be made in Form 'A'

43. **Identification requirement.–**

Every certificate granted under these rules shall bear a bust photograph of the holder thereof previously submitted along with his application under rule 26 and his signature and such other particular as may be required for the purpose of identification.

44. **Grant of duplicate certificate.–**

(1) Whenever the holder of a certificate proves to the satisfaction of the Chairman that the certificate granted to him under these, rules has been lost, stolen or destroyed or mutilated , he shall be granted on payment of a fee of Rs.200/-(Rupees two hundred only), a duplicate certificate to which by the record so kept as aforesaid, he appears to be entitled, which shall have for all purpose the same validity as the original certificate. The words "Duplicate Certificate" shall be written on such certificate. Fee shall be paid by Treasury Challan or such other mode as the Government may notify in this behalf.

(2) If on enquiry, the Secretary is satisfied that any statement made by the applicant for the issue of duplicate certificate is false he shall report the case to the said Board at its next Meeting and the Board may at its discretion cancel the certificate or permit the grant as aforesaid of a duplicate certificate either immediately or after such period not exceeding twelve months as the Board may think fit having regard to the circumstances of each case.

45. Application for duplicate certificate.–

Application for a duplicate certificate shall be lodged with the Chairman with a declaration before a Gazetted Officer or a Magistrate stating that the certificate granted under these rules, has been lost.

46. Invalidity of original certificate .–

On the issue of a duplicate certificate, the original certificate shall cease to be valid, and shall if in the possession of the holder there of be returned to the office of the Chairman for cancellation.

47. Record of duplicate certificate.–

Duplicate of all certificates granted under these rules shall be recorded in the office of the Chairman.

CHAPTER XI

ENQUIRY

48. Enquiry regarding certificate holders –

If a District Magistrate or the Chief Inspector or Director of Boilers has reason to believe from any cause whatsoever, that an enquiry should be made into allegations of incompetence, drunkenness, misconduct or negligence of duties on the part of a Boiler Attendant holding Certificate of Competency under these rules, they shall either themselves make such enquiry or cause it to be made by their subordinate officers, and

(a) the proceedings shall be held in the presence of the person whose conduct forms the subject of enquiry and he shall have an opportunity of making any statement he may wish to make and of producing any evidence in his defence;

(b) the proceeding of any such enquiry together with the findings thereon by the officer conducting the enquiry shall be forwarded by that officer for decision of the Board.

49. Surrender of certificate.–

When an enquiry is being conducted under rule 48, the holder of such certificate shall, on demand by the officer in charge of the enquiry, forthwith surrender his certificate to the said officer pending the result of such enquiry.

50. Decision of the Board.–

(1) On receipt of the proceeding of the enquiry conducted under rule 48 together with findings thereon, the Board may allow the certificate to stand or suspend it for such period as it thinks fit or may cancel the certificate permanently.

(2) Before taking any action under sub-rule (1), the candidate shall be given an opportunity of being heard in the matter.

(3) Anybody aggrieved by the decision of the Board may, within thirty days of the date of the receipt of the order, appeal to the government whose decision thereon, shall be final.

FORM 'A'

(See rules 26 and 42)

Application for certificate of competency as Boiler Attendant

Part I – Name, etc. of the applicant.

1. Name (in full).
2. Father's Name.
3. Nationality.
4. Date of Birth.
5. Place of Birth
6. Permanent Address

Photograph

7. Whether appeared in any previous examination
8. If so, details of place and date

Part II: PARTICULARS OF ALL CERTIFICATES SUBMITTED

Number of the Certificate	Class of Certificate	Place of issue	Date of issue	If at any time suspended or cancelled, and if so state by whom	Date of suspension or cancellation	Reasons of suspension or cancellation
1	2	3	4	5	6	7

PART III: LIST OF TESTIMONIALS AND STATEMENTS OF SERVICE

(the testimonials to be numbered serially corresponding to the numbers given in column 1 below)

Serial Number of testimonials	Date of testimonials	Name of person signing the testimonials	Address and designation of factory or Workshop where employed	Number, type and heating surface of boilers worked on	Capacity in which employed	Service of Applicant		Period for which employed			Not to be filled in by the applicant	
						Date of commencement	Date of termination	Years	Months	Days	Initial of Verifier	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Total Service

Time served for which certificates are produced.

Time served for which no certificates are produced.

Part IV – DECLARATION TO BE MADE BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the statements made in Part I, II and III of this Form are correct and true to the best of my knowledge and belief; and that the papers enumerated in Part II and submitted with this form are true and genuine documents and further that the copies of the documents submitted with this form are true and correct. I further declare that the statements made in Part III contain a true and correct account of the whole period of my service without exception, and I make this declaration conscientiously believing the same to be true.

Dated at this day of 20

Signature of the applicant

Present Address

Signed in the present of

Signature.....

Designation .....

NOTE :- 1. Every application must be accompanied with the requisite fee in the manner as may be prescribed by the Government.

2. Two copies of a recent bust photograph of the applicant (Size 50mm x 65mm) must accompany the application with applicant's signature on the back-thereof, duly attested by a Gazetted Officer or the candidates employer.

3. Any, person making a false statement for the purpose of the admission to the examination renders himself liable to prosecution.

4. Incomplete application is liable to be rejected.

PART V

(Not to be filled by the applicant)

Certified that Shri _____has been examined for Certificate of Competency as First Class/ Second Class Boiler Attendant and that he has passed/failed in the examination held during _____

Issue of Certificate of Competency as First Class/ Second Class Boiler Attendant when certified to have passed

Certificate No._____ issued on_____and duplicate recorded.

(Secretary)
Board of Examiners

Form B
(See Rule 41)

(First Class Boiler Attendant Certificate of Competency)
(Granted under rule 41 of the Boiler Attendants' Rules, 2011)
No._____ of _____

Shri _____ aged about_____

Years, at present residing at _____

having satisfied the Board of Examiners of his competency to fulfill the duties of first Class Boiler Attendant, is granted under the Boiler Attendants' Rules, 2011, this certificate of competency as a First Class Boiler Attendant authorizing him to have charge of a single boiler with steam pipes of any type or capacity or two or more boilers with steam pipes in a battery or separated, the total heating surface of which does not exceed 1000 square meters, provided that such boilers shall be situated within a radius of 30 meters in the same premises and belong to one owner.

Dated at _____ this _____ day of _____ 20_____.

Secretary
Board of Examiners

Chairman
Board of Examiner

PHOTO

Description Roll

1.Date and Place of Birth .....

2. Permanent address .....

3.Nationality .....

4.Height (without shoes) .....

5. Marks of Identification .....

6. Left Thumb impression .....

Signature of applicant

Endorsements

Form C
(See Rule 41)
(Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency)
(Granted under rule 41 of the Boiler Attendants' Rules, 2011)
No._____ of _____

Shri _____ aged about_____

Years at present residing at_____ having satisfied the Board of Examiners of his competency to fulfill the duties of Second Class Boiler Attendant is granted under the Boiler Attendants, Rules, 2011, this certificate of competency as a second Class Boiler Attendant authorizing him to have charge of a single boiler with steam pipe of any type, the heating surface of which does not exceed 200 square meters. He may, however, attend to a battery of boiler consisting of not more than three connected boilers (not exceeding 150 square meters in aggregate of total heating surface) provided he is assisted by the number of firemen as are considered necessary by the Chief Inspector of Boilers.

Dated at_____ this _____ day of _____20_____

Secretary
Board of Examiners

Chairman
Board of Examiners

Description Roll

PHOTO

1.Date and Place of Birth .....
2. Permanent address .....
3. Nationality .....
4. Height (without shoes) .....
5.Marks of Identification .....
6. Left Thumb impression .....
Signature of applicant

Endorsements_____

[F. No. 6(11)/2009-Boilers]
RENU SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.